

NHB(ND)/ROD/SCB/Refinance Circular 7/2014-15
Dated : 30-04-2015



To All Eligible Scheduled Commercial Banks

Madam / Sir,

Refinance Circular No. 7/2014-15
Urban Housing Fund - Interest Rates

1. The interest rates on refinance extended under the Urban Housing Fund (UHF) have been revised with immediate effect. The revised rate and on-lending cap, which shall be applicable on all refinance disbursements made under the Urban Housing Fund on or after the date of this circular, are as under :

Loan Size	Interest Rate on Refinance	On-lending Cap
Upto ₹10 lakhs	6.87% p.a.	Base Rate

Accordingly, the Scheduled Commercial Banks are advised to ensure that for all refinance claims made under the Urban Housing Fund on or after the date of this Circular, only those loans are included where the on-lending rate to the borrower(s) does not exceed the Base Rate of the respective Bank.

2. All other terms and conditions under the Urban Housing Fund refinance scheme as applicable to Scheduled Commercial Banks as communicated from time to time shall continue to be applicable.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(V. Vaideswaran)
Deputy General Manager
Refinance Operations

एनएचबी (एनडी)/आरओडी/एससीबी/पुनर्वित्त परिपत्र 7/2014-15
दिनांक : 30-04-2015

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को

महोदया / महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र सं0 6/2014-15

शहरी आवास निधि - ब्याज दर

1. शहरी आवास निधि (आरएचएफ) के तहत प्रदत्त पुनर्वित्त पर ब्याज दर तत्काल प्रभाव से संशोधित की गयी है। इस परिपत्र की तिथि को अथवा तत्पश्चात शहरी आवास निधि के तहत सभी पुनर्वित्त संवितरणों पर लागू होने वाली संशोधित दर तथा ऋण दर की उपरि सीमा निम्नानुसार है :

ऋण राशि	पुनर्वित्त पर ब्याज दर	ऋण दर की उपरि सीमा
₹10 लाख तक	6.87% प्रतिवर्ष	आधार दर

तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि इस परिपत्र की तिथि को अथवा तत्पश्चात शहरी आवास निधि के तहत किये गए सभी पुनर्वित्त दावों हेतु केवल वे ऋण समाविष्ट किये गए हैं जिनमें उधारकर्ता(ओं) को ऋण दर सम्बंधित बैंक की आधार दर से अधिक नहीं है।

2. शहरी आवास निधि पुनर्वित्त योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए यथा लागू और समय समय पर यथा संसूचित अन्य सभी नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,



(वी0 वैदीश्वरण)

उप महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन